न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 124/2012

1 नानूराम पुत्र सालगा (मृतक)।
1/1 सुरजी देवी पत्नी नानूराम।
1/2 गीता देवी पुत्री नानूराम।
1/3 बजरंगलाल पुत्र नानूराम।
1/4 जीवनराम पुत्र नानूराम।
1/5 पिंकी देवी पुत्री नानूराम।
1/6 मनीषा देवी पुत्री नानूराम।
1/7 सुशीला देवी पुत्री नानूराम।
1/8 संतोष देवी पुत्री नानूराम।
1/9 नीम्बू पुत्री नानूराम समस्त जाति कुमावत निवासीगण ग्राम परसरामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 श्यामलाल पुत्र सालगा।
1/1 हीरालाल पुत्र श्यामलाल।
1/2 मुकेश पुत्र श्यामलाल।
1/3 राजू पुत्र श्यामलाल।
1/4 सुनिल पुत्र श्यामलाल।
1/5 सीमा पुत्री श्यामलाल समस्त जाति कुमावत निवासीगण परसरामपुरा हाल निवासी डाबर वाली ढ़ाणी तन रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2 शंकरलाल पुत्र सालगा।
3 मोहनलाल पुत्र सालगा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

4 श्रवणलाल पुत्र सालगा।
5 सीताराम पुत्र सालगा।
6 नन्दलाल पुत्र सालगा समस्त जाति कुमावत निवासीगण परसरामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
7 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
8 सब रजिस्ट्रार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
9 पटवार हल्का सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
10 पटवारी हल्का रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 07.08.2012 मुकदमा
नम्बर 166/2010 बउनवानी नानूराम बनाम श्यामलाल
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—10.12.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 166/2010 में पारित निर्णय दिनांक 07.08.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट द्वारा ग्राम परसरामपुरा पटवार हल्का सरगोठ की भूमि खसरा नम्बर 172/2,57,58,59, ग्राम रींगस की भूमि खसरा नम्बर 5003,5003/5806, 5027,5028,5029,5030,5015,5016,5017,5018,5019,5020,5021,5022,5023, 5024,5026,5051,5052,5053,5054,5055,5056,5012,5025 बाबत धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने आवेदन दर्ज कर अन्तरिम अस्थाई जारी की गई। विचारण न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व रूप से विचाराधीन निर्णय से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने बिना विधिक प्रकिया, बिना सुनवाई विचाराधीन निर्णय से स्थगन खारिज किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत हो चुका था। विचारण न्यायालय को गुणावगुण पर आवेदन निर्णित किया जाना चाहिए था। विचाराधीन आदेश की आड़ में अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमियों का बेचान किया जा चुका है एवं अपीलांट के कब्जे काश्त में दखल किया जा रहा है। अतः स्थगन जारी किया जाकर प्रकरण अंतिम निर्णय हेतु विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2014(1) पेज 409, आर.आर.टी. 2020(2) पेज 1081, आर.आर.टी. 2021 (1) पेज 333, आर.आर.टी. 2019(1) पेज 71, आर.आर.टी. 2020(1) पेज 474, आर.आर.टी. 2017(1) पेज 115, आर.आर.टी. 2014(1) पेज 611 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील अन्तरिम आदेश के विरूद्व है। पक्षकारो के मध्य धारा 212 के आवेदन का अन्तिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। अन्तरिम आदेश की अपील पोषणीय नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने बिना विधिक प्रकिया, बिना सुनवाई विचाराधीन निर्णय से स्थगन खारिज किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत हो चुका था। विचारण न्यायालय को गुणावगुण पर आवेदन निर्णित किया जाना चाहिए था। विचाराधीन आदेश की आड़ में अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमियों का बेचान किया जा चुका है ऐसी स्थिति में पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता होने की सम्भावना है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को धारा 212 के अन्तिम निर्णय तक यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर